बिहार सरकार

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा

(Email Id- rtasaranbihar@gmail.com)

ज्ञापांकः—08—06 / 2024(RTA)—49

—:सूचना:—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विभागीय वाहन पोर्टल पर जॉच के क्रम में पाया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्गत परमिट वाले बसों में से 69 बसें ऐसे है, जिनकी आयु **15 वर्ष** से अधिक हो गई हैं एवं उनके पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक है। सरकारी नियम के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वाले बसों को प्रतिदिन 100 कि0मी0 तक ही परिचालन करना है एवं इसी के अनुसार ऐसे वाहनों के पक्ष में परमिट होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन / बस की आयु परमिट की वैद्यता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रहा हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक हो, तो वैसे वाहनों / बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन / बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने एवं प्रतिदिन का परिचालन मार्ग 100 कि0मी0 से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। इसके बावजूद भी 69 वाहन स्वामियों द्वारा उचित समय पर वाहन का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है। **उक्त 69 वाहनों / बसों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ—साथ कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर भी इस सूचना के साथ प्रकाशित है।**

अतएव उपरोक्त 69 बसों के सभी संबंधित वाहन (बस) स्वामियों को एतद् द्वारा निदेशित किया जाता है कि वर्णित मामले में वे 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से उसी प्रकार के उच्च मॉडल के वाहन से अपने पूर्व वाहन का प्रतिस्थापन करा लें। अन्यथा आपके वाहन पर धारित परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(आयुक्त—सह—अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा के आदेशानुसार)

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा

उक्त सूचना **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

PR. No.000020 (Trasnport) 2025-26

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।

हिन्दुस्तान - 07.04.2025